न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/236/2017

उनवान

1. चारभुजा स्थान देह आगूंचा बजरिये पुजारी श्री गोविन्द गिरधर पाराशर पुत्र स्व0 श्री दुर्गाशंकर पाराशर निवासी आगूचा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्री चारभुजा स्थान देह आगूचा बजरिये पुजारी श्री महावीर पुत्र नन्दराम पाराशर निवासी आगूचा, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश, भीलवाडा
3. तहसीलदार हुरडा तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा
4. बंशीलाल पुत्र मोती लाल शर्मा निवासी आगूचा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 306/2010 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.12.2013

अधिवक्तागण :—

1.श्री बी एल वैष्णव, श्रीमती रेखा चौहान अधिवक्ता अपीलार्थी
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 4 अनुपस्थित
3. श्री ओम प्रकाश सोनी,राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 28.6.2019

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आगूँचा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा में श्री चारभुजा स्थानदेह आगूँचा की मिलकियत एवं कब्जेयाबी खाता संख्या 1253 की आराजियात नम्बरी 3143 रकबा 13 बीघा 07 बिस्वा एवं 3145/6154 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा स्थित होकर हाल राजस्व रेकार्ड में वादी चारभुजा स्थान देह आगूँचा के नाम दर्ज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत व अवैध रूप से हाल नक्शे में परिवर्तन करते हुए आराजी नम्बर 3143 का कुछ हिस्सा 3144 में मिला दिया जबकि सेटलमेण्ट विभाग को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को वादी द्वारा नक्शे में दुरूस्ती करवाने बाबत कई बार लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया परन्तु प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे तथा हाल ही में दिनांक 11.7.2010 को प्रतिवादी को आराजी नम्बर 3143 का कुछ हिस्सा 3144 में मिला दिया जिसे दुरूस्त करने का निवेदन किया जिस पर वादी को कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला । इसलिए वाद प्रस्तुत करने की नौबत आई तथा वादी आराजी नम्बर 3143 के नक्शे को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

2. वादी की आराजी नम्बर 3145/6154 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा में प्रतिवादी नम्बर 3 का काई हक हिस्सा नहीं होते हुए भी उक्त आराजियात पर कब्जा करना चाहता है तथा आये दिन वादी को उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करता है तथा वादी को बलपूर्वक उक्त आराजियात से बदेखल करने पर आमादा है हाल ही में दिनांक 10.7.2010 को प्रतिवादी नम्बर 3 वादी की उक्त आराजियात पर गया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

एवं नाजायज रूप से कब्जा करने पर आमादा हुआ तथा वादी द्वारा उक्त कृत्य नही करने बाबत रोक–टोक की तो मरने मारने पर आमादा हुआ तथा उक्त आराजियात से वादी को बेदखल करने की धमकी दी। अतः उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायसंगत है। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि होने एवं उनके विरूद्ध वाद पत्र पेश करने से पहले अन्तर्गत धारा 80 सी पी सी का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वाद पत्र अति आवश्यक प्रकृति का होने से बिना नोटिस दिये मियाद समाप्ति के उक्त वाद पत्र पेश है एवं स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के घोषणात्मक डिक्री इस आशय की पारित की जावे कि आराजी नम्बर 3143 का हिस्सा 3144 में मिलाते हुए नक्शे में किये गये परिवर्तन को दुरूस्त कराने की डिक्री प्रदान की जावे। यदि दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 3 आराजियात से वादी को जबरन बेदखल कर दे तो पुनः वादी को कब्जा दिलाने की डिक्री भी पारित की जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादी का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी/वादी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए मिथ्या कथन अंकित करते हुए श्री चारभुजा स्थानदेह आगूँचा बजरिये पुजारी दुर्गाशंकर जी पराशर पुत्र इन्दरमल पाराशर जो कि वाके ग्राम आगूचा प्रथम पटवार हल्का आगूचा प्रथम तहसील हुरडा जिला भीलवाडा की आराजी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नम्बर 3144 के पुजारी होकर उक्त आराजियात का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं को पक्षकार कायम नहीं कर फर्जी एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय से निर्णय एवं डिक्री प्राप्त कर ली एवं बिना जानकारी के आराजीनम्बर 3144 का कुछ हिस्सा आराजी नम्बर 3143 में मिलाकर नक्शे में परिवर्तन कर दिया । रेस्पोडेण्ट संख्या 1/प्रार्थी नम्बर 1 द्वारा दिनांक 25.7.2017 को आराजी नम्बर 3143 पर जबरन कब्जा करने पर आमादा हुआ तब अपीलाथी ने विपक्षी संख्या 1 को रोका तो विपक्षी संख्या 1 ने यह कहा कि हमने वास्तविक तथ्यों को छिपाकर एस डी एम साहब गुलाबपुरा के यहॉ से डिक्री प्राप्त कर ली है एवं आराजी नम्बर 3144 का कुछ हिस्सा आराजी नम्बर 3143 में मिला दिया है तब अपीलाण्ट को उक्त निर्णय की जानकारी हुई एवं दिनांक 26.7.2017 को अपीलाण्ट द्वारा पटवारी हल्का हुरडा से मिलने पर जानकारी हुई जिस पर सहायक कलक्टर, गुलाबपुरा के यहॉ जाकर नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया एवं नकल प्राप्त होने पर अपील प्रस्तुत की गई है। श्री चारभुजा स्थान देह आगूचा बजरिये पुजारी दुर्गाशंकर जी पाराशर की मृत्यु दिनांक 2.10.2014 को हो जाने से उनके स्थान पर उनके पुत्र गोविन्द गिरधर पाराशर ने गद्दी संभाली इसलिए उक्त अपील श्री चारभुजा जी स्थान देह आगूचा बजरिये पुजारी गोविन्द गिरधर द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। उक्त अपील आवश्यक प्रकृति की है अतः अपीलार्थी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

5. अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.12.2013 की जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 25.7.2017 को जब रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 द्वारा अपीलाण्ट कीआराजी नम्बर 3144 पर अवैध एवं जबरन कब्जा करने लगा तब रेस्पोडेण्ट नंम्बर 1 द्वारा यह कहे जाने पर कि हमनें वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए एवं झूठा कथन अंकित करते हुए अपीलाण्ट कअे पिता को पक्षकार नहीं बनाकर डिक्री प्राप्त कर ली है। उसके पश्चात पटवारी से मिलने एवं सहायक कलक्टर, गुलाबपुरा के निर्णय एंव डिक्री की दिनांक 27.7.2017 को प्रमाणित प्रति मिलने से जानकारी हुई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के पिता को कोई नोटिस सम्मन जारी नहीं किया गया । जिससे अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय में विचारधीन वाद की जानकारी नहीं हो पाई। अतः अपीलार्थी को जानकारी होने एवं अपीलाधीन निर्णय की प्रति प्राप्त होने तक की अवधि को कण्डोन किया जावे।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1/वादी ने अधिनस्थ न्यायालय में वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए एवं न्यायालय को भ्रमित करके झूठे एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर डिक्री प्राप्त की है । जो तथ्यों एवं विधि के विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय में यह झूठा कथन अंकित किया कि सेटलमेण्ट विभाग द्वारा गलत एवं अवैध रूप से हाल नक्शे में परिवर्तन करते हुए आराजी नम्बर 3143 का कुछ हिस्सा आराजी नम्बर 3144 में मिला दिया जबकि सही तथ्य यह है कि आराजी नम्बर 3144 सेटलमेण्ट से पूर्व एंव पश्चात श्री चारभुजाजी स्थान देह आगूजा अपीलाण्ट के पिताजी एवं पूर्वजों के नाम दर्ज रिकार्ड चली आ रही है एवं जिसका उपयोग उपभोग पूजा अपीलाण्ट के पिता दुर्गाशंकर पिता इन्दरमल पाराशर करते चले आ रहे हैं। जिसको रेस्पोडेण्ट ने पक्षकार नहीं बनाकर न्यायालय को धोखा देकर भ्रमित करके डिक्री प्राप्त की है जो निरस्त योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट संख्या4 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में अपने जवाब वाद पत्र में दुर्गाशंकर पुत्र इन्दरमल पाराशर को पक्षकार नहीं बनाया गया की आपत्ति की परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर ध्यान नहीं देकर एवं पक्षकार नहीं बनाकर जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह विधि के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि श्री चारभुजा स्थान देह आगूचा के पुजारी श्री दुर्गाशंकर पुत्र इन्दरमल पाराशर की मृत्यु दिनांक 2.10.2014 को हो गई एवं उनके स्थान पर उनका पुत्र गोविन्द गिरधर पारशर पूजा अर्चना एवं आराजी नम्बर 3144 का उपयोग उपभोग बहैसियत पुजारी करता चला आ रहा है इसलिए यह अपील अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत की गई है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

10. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाण्ट दिनांक 25.7.2017 को आराजी नम्बर 3144 पर गया तो रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपीलाण्ट की आराजी नम्बर 3144 के कुछ हिस्से पर कब्जा करने पर आमादा हो रहा था तब अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को आराजी नम्बर 3144 पर जबरन एवं अवैध तरीके से कब्जा करने से रोका तो रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपीलाण्ट के साथ लडाई झगडा एवं मारपीट की और कहा कि हमने सहायक कलक्टर, गुलाबपुरा से डिक्री प्राप्त करके तुम्हारी आराजी नम्बर 3144 का कुछ हिस्सा हमारी आराजी नम्बर 3143 में मिला दिया है जिसकी हमने तरमीम भी करवा ली है। जब अपीलाण्ट ने कहा कि हमको बिना सुने हुए कोर्ट कैसे निर्णय दे सकता है, कैसे हमारा रकबा कम कर सकता है तो रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने कहा कि हमनें तथ्यों को छिपाते हुए डिक्री प्राप्त कर ली है। अब तुम्हे जो करना है कर लो। हम तो उक्त आराजियात पर कब्जा करके रहेंगे। चूंकि अधिनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी / वादी ने गलत तथ्य प्रस्तुत करके वाद प्रस्तुत किया है एवं हाल आराजी नम्बर 3144 का कुछ हिस्सा आराजी नम्बर 3143 में मिलाकर नक्शे में परिवर्तन करा तरमीम भी करवा ली है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 23.12.2013को निरस्त किया जाकर आराजी नम्बर 3144 का रकबा कम करके आराजी नम्बर 3143 में मिला दिया गया है वह पुनः अपीलाण्ट को दिलाया जावे एवं नक्शे में दुरूस्ती की गई है उसको

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपास्त कर पूर्व की स्थिति में लाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

11. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 4 अनुपस्थित ।

12. राजकीय अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

13. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सदभाविक एवं संतोषप्रद होने से स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती हैं।

14. अपीलार्थी का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो आराजी नम्बर 3144 का कुछ हिस्सा आराजी नम्बर 3143 में किये जाने का आदेश पारित किया है उसे निरस्त किया जावे एवं पुनः पूर्व की स्थिति बहाल रखी जावे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत 2061 का अवलोकन किया गया । उक्त जमाबंदी में हाल आराजी नम्बर 3143 रकबा 13 बीघा 07 बिस्वा किस्म बंजड एवं आराजी नम्बर 3144 रकबा 17 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी iii के खातेदार के रूप में चारभुजा स्थान देह का नाम दर्ज रेकार्ड है। हाल नक्शा ट्रेश प्रदर्श 3 का अवलोकन किया गया । हाल आराजी नम्बर 3143 एवं 3144 दोनों ही आराजियात चारभुजा स्थान देह के नाम

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा चारभुजा स्थान देह के पुजारी होने का कथन किया गया है। विवाद का विषय यह है कि आराजी नम्बर 3144 का कुछ रकबा आराजी नम्बर 3143 में मिला दिया गया है तथा इस आधार पर नक्शों में परिवर्तनसे विवाद की स्थिति बनी है। चूंकि दोनो ही रकबे एवं आराजी चारभुजा स्थान देह के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है ऐसी स्थिति में आराजी नम्बर 3143 एवं 3144 के कुल रकबे में कोई परिवर्तन नहीं आया है मौके पर रकबा दोनों आराजियात का मिलाने पर समान ही है। किसी अन्य खातेदार के हिस्से में यदि भूमि दर्ज कर दी जाती तो निश्चित ही चारभुजा स्थान देह नाबालिग मूर्ति की भूमि को संशोधित कराने हेतु विधिवत कार्यवाही की जाती । अपीलाधीन प्रकरण में चूंकि खातेदार श्री चारभुजाजी स्थान देह आगूंचा के रकबे में कोई परिवर्तन आना पुजारी अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा साबित नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में भू प्रबन्ध के दौरान खातेदार की भूमि के रकबे में परिवर्तन नहीं किया गया बल्कि मौके की स्थिति के अनुसार नक्शे में तरमीम की गई है। जो विधिसम्मत है। पुजारी भूमि के खातेदार नहीं है चारभुजा स्थान देह की खातेदारी की भूमि से होने वाली आय से चारभुजा स्थान देह की सेवा सुश्रुषा करते हैं। चूंकि दोनों ही आराजियात श्री चारभुजा स्थान देह की होने एवं रकबे में किसी प्रकार की कमी अथवा अन्य किसी खातेदार के हिस्से में भूमि दर्ज नहीं किये जाने से भू प्रबन्ध विभाग ने मौके की स्थिति के अनुसार जो हाल नक्शा तैयार किया है वह

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

विधिसम्मत है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय द्वारा जो नक्शे में दुरूस्ती के आदेश दिये गये हैं उसका समर्थन नही किया जा सकता है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विस्तृत विवेचन उपरान्त तनकीवार निर्णय पारित किया गया है। कुल कायम पांचों तनकियात का विवेचन किया गया । वादी/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व अपीलाण्ट एक ही खातेदार है। श्री चारभुजा स्थानदेह आगूंचा शास्वत नाबालिग खातेदार दर्ज है, अतः यह स्पष्ट होता है कि विवाद खातेदारी अधिकारों का नहीं होकर पुजारीगण के कब्जे को लेकर है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट रूप से आया है कि साबिक आराजी नम्बर 713, 716, 717, 710, 714 के हाल नम्बर 3143 बने हैं । विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हाल नम्बर 3143 के पूर्व नक्शे का वर्तमान नक्शे से मिलान कर कुछ हिस्सा आराजी नम्बर 3144 में मिलाया जाना प्रकट होने से नक्शे में दुरूस्ती का आदेश दिया है। मेरे विनम्र अभिमत में शास्वत नाबालिग खातेदार श्री चारभुजा स्थान देह आगूचा के हक अधिकारों पर पडने वाले प्रभाव के दृष्टिगत ही वाद निर्णित किया जाना था । खसरा नम्बर 3143 व 3144 दोनो ही श्री चारभुजा स्थानदेह आगूचा के नाम दर्ज होने से नक्शो में परिवर्तन से श्री चारभुजा स्थान देह आगूचा के हक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पडना साबित है। ऐसे में साबिक आराजी नम्बर 712, 716, 717, 710, 714 व अन्य खसरा नम्बरान जिनसे आराजी नम्बर 3143 व 3144 एवं अन्य हाल नम्बर बने हैं, की सीमाओं के निर्धारण बाबत मौका स्थिति अनुसार नक्शे में अंकन करने

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

का पूर्ण अधिकार सेटलमेण्ट विभाग को है। अतः खसरा नम्बर 3144 के साबिक नम्बरों का विवेचन किये बिना व धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का भी प्रकरण नहीं बनने से विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को उचित नहीं माना जा सकता है।

15. मंदिर श्री चारभुजा स्थानदेह के पुजारीगण को स्वयं के हितार्थ मंदिर की खातेदारी भूमि या उसके आय का उपयोग उपभोग करना राजस्व वाद का विषय नहीं है । यदि कोई पुजारी या कब्जादार मंदिर मूर्ति की भूमि पर कब्जे बाबत हक अधिकार साबित करना चाहता है तो यह राजस्व वाद का विषय नहीं हो सकता है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा कई खसरा नम्बरान के नक्शों को परिवर्तित कर मौके की स्थिति के अनुसार नया नक्शा बनया गया है जिसमें रिकोर्डेड खातेदार के हक अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव पडना वादी/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा साबित नहीं किया गया है । विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पूर्ण साक्ष्य सबूतों से साबित नहीं होने के बावजूद वादी/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पक्ष में निर्णित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 23.12.2013 को निरस्त किया जाकर राजस्व रेकार्ड नक्शा ट्रेश में पूर्व इन्द्राज को यथावत रखा जाना उचित समझते है।

16. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न नक्शा ट्रेश संवत 2021 सन् 1964–65 प्रदर्श 3 का अवलोकन किया गया तथा नक्शा फोटोप्रति मौजा आगूँचा खान जिला

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

हुरडा राज्य उदयपुर मेवाड सन् 1924 प्रदर्श 4 का भी अवलोकन किया गया । प्रदर्श 4 स्पष्ट पठनीय नहीं है तथा हाल खसरा नम्बर 3143 व 3144 के साबिक खसरा नम्बरान का स्पष्ट अंकन नक्शा ट्रेश में नहीं है। प्रकरण साबित करने का भार वादी/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 पर था। वादी/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 यह साबित करने मे सफल रहे हैं कि वे श्री चारभुजा स्थानदेह खातेदार के पुजारी हैं परन्तु रिकोर्ड के अवलोकन से तनकी नम्बर 2 स्पष्ट रूप से साबित नहीं होती है। साबिक आराजी नम्बर 713, 716, 717, 710 व 714 के अतिरिक्त भी मंदिर श्री चारभुजा स्थान देह आगूंचा के नाम भूमि दर्ज थी। जिससे विभिन्न हाल खसरा नम्बर बने तथा मौके की स्थिति अनुसार नक्शे परिवर्तित किये गये । मात्र पुजारियों के हक अधिकार निर्धारण के लिए नक्शे दुरूस्त नही किये जा सकते हैं। प्रदर्श 4 एक अस्पष्ट नक्शा है तथा वादी/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा मात्र खसरा नम्बर 3143 के हित में तथ्य प्रस्तुत किये हैं परन्तु खसरा नम्बर 3144 व अन्य खसरा नम्बरान जिनके नक्शे बरवक्त बन्दोबस्त संशोधित किये गये बाबत कोई जानकारी उपलब्ध नही कराई गई है। भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान स्थिति अनुसार नक्शे में अंकन करने का पूर्ण अधिकार सेटलमेण्ट विभाग को है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पूर्ण साक्ष्य सबूतों से साबित नहीं होने के बावजूद वादी/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पक्ष में निर्णित किया है जो निरस्त योग्य है।

17. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एव अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

23.12.2013 को निरस्त किया जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब किया जावे।

18. निर्णय आज दिनांक 28.6.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/236/2017

उनवान

1. चारभुजा स्थान देह आगूंचा बजरिये पुजारी श्री गोविन्द गिरधर पाराशर पुत्र स्व0 श्री दुर्गाशंकर पाराशर निवासी आगूचा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्री चारभुजा स्थान देह आगूचा बजरिये पुजारी श्री महावीर पुत्र नन्दराम पाराशर निवासी आगूचा, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश, भीलवाडा
3. तहसीलदार हुरडा तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा
4. बंशीलाल पुत्र मोती लाल शर्मा निवासी आगूचा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 306/2010 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.12.2013

अधिवक्तागण :—

1.श्री बी एल वैष्णव, श्रीमती रेखा चौहान अधिवक्ता अपीलार्थी
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 4 अनुपस्थित
3. श्री ओम प्रकाश सोनी,राजकीय अधिवक्ता

अपील में डिक्री
(आदेश 41 का नियम 35)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/236/2017** मे **उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैः

यह अपील तारीख 28.6.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री बी एल वैष्णव एवं श्रीमती रेखा चौहान वकील एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 व 4 के अनुपस्थिति में तथा राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 27.6.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :-

अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एव अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.12.2013 को निरस्त किया जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 28.6.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

28/6/19

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ भीलवाड़ा (राज.) ★